e-ISSN:2582 - 7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 12, December 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 5.928

International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 12, December 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0412006 |

राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का शिक्षा पर प्रभाव

Dr. Rachana Sinha

Associate Professor, Department of Teachers of Teaching Education , K.S. Saket PG College, Ayodhya, UP, India

सार

एक अकादमिक अनुशासन के रूप मेंशिक्षा में राजनीति के अध्ययन की दो मुख्य जड़ें हैं। पहली जड़ राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैजबकि दूसरी जड़ संगठनात्मक सिद्धांत पर आधारित है.राजनीति विज्ञान यह समझाने का प्रयास करता है कि कैसे समाज और सामाजिक संगठनशक्ति का प्रयोग करेंविनियम स्थापित करना और संसाधनों का आवंटन करना। संगठनात्मक सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है प्रबंधन के संगठनों के कार्य के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए।शोधकर्ताओं ने स्कूलों में दो तरह की राजनीति में अंतर किया है. माइक्रोपॉलिटिक्स शब्द का तात्पर्य व्यक्तियों और समूहों द्वारा संगठनों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति के उपयोग से है। सहकारी और परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं सूक्ष्म राजनीति के अभिन्न अंग हैं। मैक्रोपॉलिटिक्स से तात्पर्य है कि जिला, राज्य और संघीय स्तरों पर शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। मैक्रोपॉलिटिक्स को आमतौर पर स्कूल के बाहर मौजूद माना जाता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने नोट किया है कि परिस्थिति के आधार पर स्कूल सिस्टम के किसी भी स्तर पर सूक्ष्म और मैक्रोपॉलिटिक्स मौजूद हो सकते हैं।" शिक्षा की राजनीति" और "शिक्षा में राजनीति " के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है।

परिचय

आरक्षण भारत में सकारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के आधार पर , यह केंद्र सरकार और भारत के राज्यों और क्षेत्रों को आरक्षित कोटा या सीटें निर्धारित करने की अनुमति देता है , जो "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों" के लिए परीक्षा, नौकरी के उद्घाटन आदि में आवश्यक योग्यता को कम करता है।आरक्षण मुख्य रूप से सभी 3 समूहों को दिया जाता है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग क्रमशः एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में संक्षिप्त। मूल रूप से आरक्षण केवल एससी और एसटी को दिया गया था, लेकिन बाद में मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद 1987 में इसे ओबीसी के लिए बढ़ा दिया गया था ।[1,2]

पहले अनुसूचित जाति हैं । इन समुदायों को दक्षिण एशिया में जाति व्यवस्था के नीचे या "नीचे" के रूप में देखा जाता था , यहाँ तक कि शूद्र वर्ण के नीचे भी । इन जातियों के वंशानुगत पेशे थे जैसे कि खेतिहर मजदूर, हाथ से मैला ढोना, चर्मशोधन, कपड़े धोना, दिहाड़ी मजदूर, मछली पकड़ना और बहुत कुछ। वे अस्पृश्यता की प्रथा के अधीन थे , जो अन्य जातियों को छूने से लेकर एक ही जल स्रोत का उपयोग करने में असमर्थता या यहां तक कि एक ही क्षेत्र में रहने की अक्षमता से लेकर विभिन्न सामाजिक प्रतिबंधों का रूप ले लेती है। आज इनमें से कई जातियां भूमिहीन मजदूर हैं।

अगला समूह अनुसूचित जनजाति हैं । इस समूह की परिभाषा अलग-अलग है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए मानदंड "आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की शर्म, और पिछड़ेपन के संकेत हैं।" इनमें से अधिकांश समूहों को आदिवासी और मूल निवासी माना जाता है , जबकि अन्य खानाबदोश जनजातियाँ हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के तहत "आपराधिक जनजाति" के रूप में अधिसूचित किया गया था। वे निर्वाह कृषिविदों से अस्तित्व के तरीकों में हैं, जिन्होंने बाहरी दुनिया के बीच जंगलों में अभी भी शिकारी समूहों के बीच बातचीत की है। उनमें से कई का अक्सर औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उनकी भूमि का शोषण किया जाता था. हालांकि, पूर्वोत्तर में, कई जनजातियां अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं और बाहरी दुनिया के साथ उनका संपर्क है। उदाहरणों में बोडो , गोंड , बंजारा और संताल शामिल हैं ।[3,4]

तीसरा मुख्य समूह अन्य पिछड़ा वर्ग हैं. वे मूल रूप से आरक्षण योजना में नहीं थे, लेकिन मोरारजी देसाई के प्रीमियर के दौरान, मंडल आयोग ने भारत में सभी समुदायों का अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामान्य आबादी की तुलना में कौन सी जातियाँ "पिछड़ी" थीं। 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, उनका अनुमान है कि भारत की 52% आबादी उन जातियों से थी जो धन या पारंपरिक व्यवसाय जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण "पिछड़े" थे। इन लोगों को आरक्षण प्रदान करने की संभावना अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) में दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि सरकार "पिछड़े वर्गों" को आरक्षण प्रदान कर सकती है। यद्यपि केंद्र ओबीसी की अपनी सूची रखता है, जिसमें 5,000 से अधिक जातियां और उपजातियां शामिल हैं, प्रत्येक

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 12, December 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0412006 |

राज्य राज्य में आरक्षण के लिए अपनी पिछड़ी जाति सूची बना सकता है।अधिकांश ओबीसी मूल रूप से शूद्रों में वर्गीकृत किए गए थेआर्थिक रूप से वंचित होने के अलावा, वर्ण और निम्न अनुष्ठान का दर्जा रखते हैं। हालांकि, ओबीसी सूची में अन्य जातियां भी हैं, जो, हालांकि कर्मकांड से कम हैं, संख्यात्मक ताकत के लिए "प्रमुख जातियां" मानी जाती हैं और कई मामलों में कुछ ब्राह्मण समूहों सहित जाति पदानुक्रम के प्रवर्तक हैं।

बिहार या तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में, पिछड़ी जातियों, जो कुछ सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं और सबसे पिछड़ी या अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच एक विभाजन है, जो अपनी स्थिति में दलितों से बमुश्किल उच्च सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। वास्तव में, अनुसूचित जातियों के विपरीत, ओबीसी का हिंदू होना जरूरी नहीं है और कई राज्य कुछ मुस्लिम और ईसाई समुदायों को लाभ देते हैं। यह सूची सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन है क्योंकि मानदंड उतने कड़े नहीं हैं, इसलिए इसे राजनेताओं द्वारा अपने मतदाताओं के कुछ वर्गों को खुश करने के लिए अक्सर जोड़ा जाता है।

जो लोग इन समूहों के सदस्य नहीं हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कभी-कभी अन्य श्रेणी (अन्य जाति) भी कहा जाता है। सामान्य श्रेणी में ज्यादातर उच्च जातियां शामिल हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकती हैं: ब्राह्मण , क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में अधिकांश समुदाय । हालांकि, कुछ समुदायों को शूद्र वर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, साथ ही अधिकांश मुस्लिम और ईसाई समुदाय भी हैं, जो इस श्रेणी का हिस्सा हैं। इस श्रेणी से संबंधित समुदायों में अक्सर पुजारी , जमींदार , राजा, डॉक्टर और सैनिक जैसे वंशानुगत पेशे होते थे , और अक्सर कृषि भूमि के मालिक होते थे।[5]

अवलोकन

ई-पुस्तकद्वार विश्व स्तर पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ई-सामग्री का समूह है। लगभग सभी सामग्री को संबंधित संसाधनों से एक्सेस किया जाता है। इन सामग्री की प्रामाणिकता, प्रासंगिकता, पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता और उपयुक्तता की जिम्मेदारी संबंधित संगठन की होती है जहां से सामग्री के URL प्राप्त किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे यूआरएल से जुड़े दस्तावेज़ प्रदान करने वाले ई-संसाधन डेटाबेस के "सेवा की शर्तें और कॉपीराइट नीति" या "नियम और शर्तें" की सावधानीपूर्वक जांच करें। इनके लिए विश्वसनीयता या प्रामाणिकता या दुरुपयोग के लिए SOL की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ई-पुस्तकद्वार पोर्टल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। हालांकि, तकनीकी मुद्दों या अन्य कारणों से पोर्टल के अनुपलब्ध होने के लिए SOL कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और न ही इसके लिए उत्तरदायी होगा।[6,7]

प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स या प्री-डिग्री कोर्स (पीयूसी या पीडीसी) दो साल की अवधि का एक इंटरमीडिएट कोर्स (जिसे 10 + 2 के रूप में जाना जाता है) है, जो भारत में राज्य शिक्षा संस्थानों या बोर्डों द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स को प्लस टू या इंटरमीडिएट कोर्स के नाम से भी जाना जाता है।

पंजाब के चुनावी माहौल के बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच सियासत अब भी जारी है। पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह की चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्मार्ट 250 स्कूलों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने परगट सिंह से भी जल्द सूची जारी करने को कहा है। सिसोदिया ने कहा है कि पंजाब के स्कूलों की लिस्ट जारी होने के बाद दोनों जगहों का दौरा किया जाएगा, जिस भी राज्य का शिक्षा मॉडल बेहतर होगा उसे पंजाब में लागू किया जाएगा।

दोनों राज्यों के बीच शिक्षा को लेकर सियासत आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मोगा दौरे से शुरू हुई है। केजरीवाल ने इस दौरान आंदोलनरत शिक्षकों को 8 गारंटी देने का एलान किया था, जिसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था में दिल्ली नंबर छह पर है और पंजाब नंबर वन पर। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर बात करना ठीक नहीं है। इसके बाद लगातार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और परगट सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। परगट सिंह ने मनीष सिसोदिया की चुनौती पर कहा था कि 10 नहीं 250 स्कूलों पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद रविवार को दिल्ली की ओर से मनीष सिसोदिया ने 250 स्कूलों की सूची जारी कर दी है।[8,9]

विचार – विमर्श

नयी शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की मिश्रित प्रतिक्रिया आई है. उनमें से कई ने जहां इसे बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण सुधार बताया है, वहीं कुछ अन्य ने कहा कि बारीकी से विश्लेषण पर ही इसके गुण-दोष का पता चलेगा और उम्मीद जताई कि जमीन पर इसे उतारा जाएगा. नयी शिक्षा नीति में पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिये एकल नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिये साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने सहित स्कूली शिक्षा से

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 12, December 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0412006 |

लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधारों की बात कही गई है . केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नयी शिक्षा नीति को मंजूरी दी . आईआईटी दिल्ली के निदेशक रामगोपाल राव ने नयी नीति को भारत में उच्च शिक्षा के लिये ‘‘मोरिल क्षण" करार दिया . अमेरिका में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और कृषि, गृह अर्थशास्त्र, यांत्रिक कला और अन्य पेशों के बारे शिक्षित करने के लिये 1862 में मोरिल अधिनियम पारित किया गया था. उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों की सहभागिता से राष्ट्रीय शोध कोष के सृजन से हमारा अनुसंधान प्रभावी होगा और समाज में इसका असर दिखेगा .[10]

आईआईएम संभलपुर के निदेशक महादेव जायसवाल ने कहा कि 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 प्रणाली की ओर बढ़ना अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानदंडों के अनुरूप है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे आईआईएम और आईआईटी के ढांचे छोटे होने के कारण काफी प्रतिभा होने के बावजूद वे दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में नहीं आ पाते हैं. तकनीकी संस्थानों के बहु विषयक बनने से आईआईएम और आईआईटी को मदद मिलेगी. "

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति कौशल और ज्ञान के मिश्रण से स्वस्थ माहौल सृजित करेगी. उन्होंने कहा कि नीति में कुछ ऐसे सुधार हैं जिनकी लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी. यह विभिन्न संकायों और विषयों के मेल का मार्ग प्रशस्त करेगी और इससे पठन-पाठन एवं विचारों तथा वास्तविक दुनिया में इनके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.

ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की महानिदेशक रेखा सेठी ने कहा, ‘‘नयी शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति और देश में उच्च शिक्षा के नियमन संबंधी जटिलताओं को दूर करेगी और सभी छात्रों के लिये समान अवसर प्रदान करेगी. कोविड-19 के बाद के समय में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का कदम महत्वपूर्ण है." जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने नयी शिक्षा नीति को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत में उच्च शिक्षा का स्वरूप अब समग्र एवं बहु-विषयक होगा, जिसमें विज्ञान, कला और मानविकी पर साझा ध्यान दिया जायेगा .

उन्होंने कहा, ‘‘सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिये एकल नियामक का होना अच्छा विचार है और इससे सामंजस्य बेहतर होगा. इससे भारत में शिक्षा का उद्देश्य हासिल करने में मदद मिलेगी." बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज के अरोड़ा ने कहा कि यह प्रगतिशील और आगे की ओर बढ़ने वाली नीति है. यह देश में उच्च शिक्षा के आयामों को बदलने वाला है.

वहीं, कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि बारीकी से विश्लेषण करने पर ही इसके गुण-दोष का पता चलेगा और इस नीति को जमीन पर उतारने के लिये केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत बताई. शिव नाडर विश्वविद्यालय की कुलपति रूपामंजरी घोष ने कहा कि नीति में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की बात कही गई है लेकिन इसे जमीन पर कैसे और कितना उतारा जाता है, यह देखना होगा.

उन्होंने कहा कि सुधार की सच्ची भावना देश के छात्रों के सशक्तिकरण में निहित होती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें. हेरिटेज स्कूल के निदेशक विष्णु कार्तिक ने कहा कि नीति में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सुधार इनपुट आधारित होने की बजाए परिणाम आधारित हों. जे के लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रोशन लाल रैना ने कहा कि नयी शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे अगली पीढ़ी के छात्रों को काफी लाभ होगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी . सेव द चिल्ड्रेन के प्रवक्ता ने कहा कि प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि में यह नीति अच्छी है लेकिन इसमें इन आदर्श लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग स्पष्ट नहीं है.[11,12]

परिणाम

एक अकादमिक अनुशासन के रूप में शिक्षा में राजनीति के अध्ययन की दो मुख्य जड़ें हैं: पहली जड़ राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है जबकि दूसरी जड़ संगठनात्मक सिद्धांत पर आधारित है । [1] राजनीति विज्ञान यह समझाने का प्रयास करता है कि कैसे समाज और सामाजिक संगठन नियमों को स्थापित करने और संसाधनों का आवंटन करने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। संगठनात्मक सिद्धांत संगठनों के कार्य के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है।

शोधकर्ताओं ने स्कूलों में दो प्रकार की राजनीति के बीच अंतर किया है । अवधि सूक्ष्म राजनीति संगठनों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और समूहों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक ऊर्जा के उपयोग को दर्शाता है। सहकारी और परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं सूक्ष्म-राजनीति के अभिन्न अंग हैं। मैक्रो-पॉलिटिक्स से तात्पर्य है कि जिला, राज्य और संघीय स्तरों पर शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। मैक्रो-पॉलिटिक्स को आमतौर पर स्कूल के बाहर मौजूद माना जाता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने नोट किया है कि परिस्थिति के आधार पर स्कूल सिस्टम के किसी भी स्तर पर सूक्ष्म और मैक्रो-पॉलिटिक्स मौजूद हो सकती है। [2]

"शिक्षा की राजनीति" और "शिक्षा में राजनीति" के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। राजनीति को शैक्षिक रूप से परिभाषित करने के लिए दुनिया के शिक्षाविदों से प्रचलित मतभेदों पर अधिक बहस की मांग की जाती है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 12, December 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0412006 |

जब हम सबने राजनैतिक रूप से होश संभाला था, पहली बात जो सबसे अटपटी लगी थी, – भारतीय लोकतंत्र में नेताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता (Education of Politicians) क्यों नही है? Why there is no educational qualification for politicians? जिस देश मे झाड़ू चलाने वाले की नौकरी के लिए भी शैक्षणिक योग्यता तय है, वहाँ देश चलाने वाले के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) की दरकार नही है?

जिसके पास शिक्षा नही है, वह मानव के रूप में भी पशु के समान है, यह बात हमारे शास्त्रों में है । एक अशिक्षित इंसान (Un-Educated Person) अपना व्यक्तिगत बुरा -भला नही सोच सकता, फिर कैसे हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं (Founder of Indian Constitutions) ने अशिक्षित राजनेताओं (Un–educated Politicians of India) के भरोसे राष्ट्र निर्माण की कल्पना कर ली ?

तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं को शिक्षा का महत्व (Importance of Education) पता नही था या उन्होंने जान-बूझकर भारतीय राजनीति (Indian Politics) में शैक्षणिक योग्यता (Education of Politicians) का मापदंड नही रखा ? अगर हम भारतीय लोकतंत्र (Indian Democracy) की कल्पना रचने वाले महान व्यक्तित्वों पर विश्वास भी कर लें, फिर ऐसा क्या लाभ दिखा उन्हें, जो देश को अशिक्षित राजनीति (Un–educated Politicians) के हवाले कर दिया ?

आइये आज हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए क्वालिफिकेशन और डिग्री जरुरी क्यों नहीं है (Why qualification and degree are not necessary for politicians in indian democracy)? :-

भारतीय लोकतंत्र में अशिक्षित समाज का प्रतिनिधित्व (Political Representation of Illiterate Class)-[13,14]

जब हमारे संविधान निर्माता (Founder of Indian Constitution) भारत मे एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार (Democratic Government) की कल्पना कर रहे थे जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो , उस वक्त भारतीय समाज (Indian Society) अशिक्षित बहुसंख्यक था । शहरों में फ़िर भी पढ़े -लिखें लोग (Educated Person) थे, लेकिन गाँवो में शिक्षा लगभग शून्य थी । आज़ादी के वक़्त भारत मे साक्षरता दर (Literacy Rate of India in 1947) मात्र 12% थी । ऐसे में संदेह था कि अगर राजनेताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता (Educational qualification of Indian politicians) तय कर दी गयी तो फिर लोकतंत्र कुछ पढ़े-लिखे लोगों के बीच सिमट जाएगा । इससे बहुसंख्यक अशिक्षित समाज (Majority Un–educated Society) का राजनैतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) संकट में आ जाएगा, जबकि भारतीय लोकतंत्र (Indian Democracy) की मूल अवधारणा ही सबको समान राजनैतिक अवसर (Equal Political Rights) देने में निहित है ।

भारतीय लोकतंत्र में पिछड़ी जातियों (Backward Castes)/वर्गो का प्रतिनिधित्व –

ये सच है कि 1950 के भारतीय समाज (Indian Society in 1950) मे शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय थी । एक सच यह भी है कि जो थोड़ी-बहुत शिक्षा थी उसमें भी उच्च एवं कुलीन वर्ग की बहुसंख्यता थी । भारतीय समाज के निचले तबके में शिक्षा न के बराबर ही थी । विभिन्न जातियों में बंटे भारतीय समाज मे सबकों राजनैतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) देने एवं उच्च शिक्षित वर्ग (Educated Class of Society) के प्रभुत्व में लोकतंत्र को कैद होने से बचाने के लिए राजनीति में शिक्षा (Education in Politics) को अनिवार्य न करना जरूरी और ऐतिहासिक निर्णय था ।[15,16]

गाँवो तक लोकतंत्र की पहुँच-

जब भारत मे लोकतंत्र की कल्पना (Democracy in India) को ज़मीन पर उतारने की रूपरेखा तैयार हो रही थी, शहरी और ग्रामीण परिवेश में भी शिक्षा को लेकर बड़ा अंतर था । एक तरफ़ गाँवो में बमुश्किल कोई पढ़ा लिखा था, वहीं शहरी क्षेत्रों में शिक्षितों की संख्या अत्यधिक थी । अग़र राजनेताओं के लिए शिक्षा (Education of Politicians) अनिवार्य शर्त बना दी गयी होती तो संभव है कि लोकतंत्र जिस मजबूती से आज गाँवो में पहुँचा है, वह नही होता । राजनीति सिर्फ शहरी लोगों तक सिमट के रह जाती ।

महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी (Political Representation of Women)

तत्कालीन भारतीय समाज मे शिक्षा से न सिर्फ पिछड़ी एवं दलित जातियां (Candition of Backward and Dalit Caste's Literacy) दूर खड़ी थी, अपितु महिलाओं की स्थिति (Condition of Women Literacy) भी काफ़ी चिंताजनक थी । पिछड़े एवं ग़रीब परिवारों में महिला शिक्षा शून्य ही थी, उच्च वर्ग की महिलाओं का शैक्षणिक स्तर (Educational Label) भी कुछ ज़्यादा बेहतर नही था । निश्चित तौर पर राजनीति में शिक्षा (Education in Politics) अनिवार्य करने के बारे में विचार करते हुए संविधान निर्माताओं ने महिला शिक्षा (Women's Education) पर गौर किया होगा ।[17]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 12, December 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0412006 |

निष्कर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेताओं ने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हैं. इसी प्रक्रिया के अंतर्गत राजनैतिक चेतना का संचार करने और सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए हमारे यहाँ विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों का गठन किया जाता हैं. छात्र संघ के माध्यम से उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया व संसदीय प्रणाली का ज्ञान करवाया जाता हैं.[18]

वर्तमान समय में राजनीति का वास्तविक स्वरूप सक्रिय राजनीति से हैं. इसके अनुसार किसी राजनीतिक दल का गठन करना या किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लोक प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ना सक्रिय राजनीति मानी जाती हैं.

परन्तु विद्यार्थी जीवन में जिस राजनीति का ज्ञान दिया जाता है उसका उद्देश्य छात्रों को जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का ज्ञान कराना हैं.

उनमें संविधान प्रदत्त अधिकारों के उपयोग की चेतना उत्पन्न करना हैं. इस प्रकार विद्यार्थी जीवन में राजनीति का आशय लोकतंत्र की शिक्षा देना हैं.[19]

जहाँ तक जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा संसदीय प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना है, वहां तक विद्यार्थियों के लिए राजनीति उचित है, क्योंकि उस सीमा तक उनके लिए वह पाठ्य विषय ही हैं. लेकिन जब विद्यार्थी दलगत राजनीति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लग जाते हैं तो वे नियमित अध्ययन से विमुख होने लगते हैं. तब वे विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़कर स्वार्थ साधने की प्रवृत् हो जाते हैं.

इस दशा में वे प्रायः स्वार्थी, भ्रष्ट एवं कुचक्री नेताओं के चक्कर में आकर हड़ताल, तोड़फोड़ आदि असमाजिक प्रवृत्तियों में भाग लेते हैं. इस दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए सक्रिय राजनीति उचित नहीं हैं.

विद्यार्थी जीवन मानव के विकास की आधारशिला हैं. इसलिए जब विद्यार्थी अपने सामने उच्च आदर्शों और लक्ष्यों को निर्धारित कर तदनरूप शिक्षा प्राप्त करेगे, तब निसंदेह उनका भावी जीवन प्रशस्त होगा.

इसलिए उनका प्रमुख कर्तव्य यह हैं कि वे अपने विद्या मन्दिरों को गलत स्वार्थगत कलुषित राजनीति से बचाकर रखे और छात्र संघों के गठन को मात्र राजनैतिक चेतना की शिक्षा माने. वे अपना जीवन सफल बनाने तथा सच्चरित्रों को अपनाने में ही विशेष रूचि रखे.

अतएवं संक्षेप में कहा जा सकता है जहाँ तक विद्यार्थियों में राजनैतिक चेतना और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रश्न हैं.

वहां तक उन्हें छात्र संघों के द्वारा अपने विचारों को परिपक्व बनाना चाहिए परन्तु उन्हें सदा ही सक्रिय राजनीति से सदा दूर ही रखना चाहिए.[20]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. Scribner, J. D.; Aleman, E.; Maxcy, B. (February 1, 2003). "Emergence of the Politics of Education Field: Making Sense of the Messy Center". Educational Administration Quarterly. 39 (1): 10–40. doi:10.1177/0013161X02239759. S2CID 143539108.
2. Blasé, J.; Blase, J. (February 1, 2002). "The Micropolitics of Instructional Supervision: A Call for Research". Educational Administration Quarterly. 38 (1): 6–44. doi:10.1177/0013161X02381002. S2CID 144263618.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 12, December 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0412006 |

3. Ball, S (1987). The micro-politics of the school: Towards a theory of school organization. New York: Methuen. ISBN 0416001025.
4. Iannaccone, L. (August 1991). "Micropolitics of education: What and why". Education and Urban Society. 23 (4): 465–471. doi:10.1177/0013124591023004008. S2CID 145607708.
5. Hoyle, E. (1986). The politics of school management. London: Hodder and Stoughton. ISBN 0340389931.
6. "जारोस्लावा मोसेरोवा - जन पलाच को याद करते हुए - रेडियो प्राग" . रेडियो.सी.जे. 21 जनवरी 2003 । 14 अप्रैल 2011 को लिया गया ।
7. एलन लेवी (29 सितंबर 2015)। इतने सारे हीरो । स्थायी प्रेस (ओआरडी)। पी। 560. आईएसबीएन 978-1-5040-2334-4.
8. "कोर्फू सिटी हॉल वेबसाइट में कोस्टा की कहानी" । मूल से 21 जुलाई 2011 को संग्रहीत किया गया । 2010-03-17 को पुनः प्राप्त . ग्रीस (1967-1974) में तानाशाही के वर्षों के दौरान कई कॉरफियोट को प्रतिरोध समूहों में शामिल किया गया था, लेकिन कोस्टास जॉर्जाकिस का मामला पूरे ग्रीस में अद्वितीय है। आत्म-बलिदान और गतिशील विरोध की भावना के साथ भूविज्ञान के 22 वर्षीय छात्र, जो सैन्य शासन के तहत ग्रीस को देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था, ने 19 सितंबर 1970 की पहली सुबह माटेओटी में खुद को आग लगा ली। वर्ग इतालवी शहर जेनोआ में। सुरक्षा कारणों से उनके शरीर को चार महीने बाद कोर्फू में दफनाया गया था, हालांकि उनके आत्म-बलिदान, उस समय के लिए एक दुर्लभ घटना, अंतरराष्ट्रीय सनसनी का कारण बनी और उस अवधि के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कृत्यों में से एक माना जाता था। बाद में हेलेनिक राज्य और उनकी मातृभूमि कोर्फू ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया, जो अपने जीवन के साथ प्रतिरोध और देशभक्ति का प्रतीक बन गया, छात्रों के संदेशवाहक1973 में पॉलिटेक्नियन में बलिदान
9. अन्नामरिया रिवेरा (2012)। इल फूको डेला रिवोल्टा। तोरसे उमाने दाल मघरेब ऑल'यूरोपा । एडिज़ियोनी डेडालो। पी। 118. आईएसबीएन 978-88-220-6322-9. 15 मार्च 2013 को लिया गया । जिओलोजिया कोस्टास जॉर्जाकिस, ग्रीको डि कल्टुरा लाइका के सामने, एस्स्पेराटो डेल मिनासे ई डेल्ले रैप्रेसगली सबइटे दा एजेंटी देई सर्विज़ी सेग्रेती ग्रेसी इटालिया में, सिमोलो इन पियाज़ा माटेओटी प्रति प्रोटेस्टेंट कॉन्ट्रो ला गिउंटा देई।
10. हेलेन व्लाचोस (1972)। ग्रिचेनलैंड, डॉक्युमेंटेशन ईनर डिक्टूर । जुगेंड और वोल्क। आईएसबीएन 978-3-7141-7415-1. 15 मार्च 2013 को लिया गया । मेमोरियम कोस्टास जॉर्जाकिस एर स्टारब फर डाई फ्रीहाइट ग्रिचेनलैंड्स सो वाई जन पलच फर डाई डेर त्शेचोस्लोवेकी लिबर वाटर, वर्ज़ीह मीर डायस टाट एंड वेइन निच्ट में। दीन सोहन इस्ट केन हेल्ड, एर इस्ट ऐन मान वे एली एंडरेन, विलेइच्ट ..
11. जियोवानी पट्टवीना; ओरियाना फलासी (1984)। एलेकोस पनागुलिस, इल रिवोलुज़ियोनारियो डॉन चिसियोटे डि ओरियाना फलासी: सैगियो पोलिटिको-लेटरारियो । एडिज़ियोनी इटालियन डि लेटरतुरा ई साइंसेज़। पी। 211 . 10 अप्रैल 2013 को लिया गया । नो डि क्रेस्टी फू लो स्टूडे ग्रीको कोस्टास जॉर्जाकिस, उन रैगाज़ो डि 22 एनी चे आईएल 29 सेटेम्ब्रे 1970 सी ब्रूसी विवो ए जेनोवा प्रति प्रोटेस्टेंटरे कॉन्ट्रो ला सोप्रेशन डेला लिबर्टा इन ग्रीसिया। ला सेरा डेल सुओ सैक्रिफिसियो रियाकॉम्पग्न ए कैसा ला ...
12. रिविस्टेरिया । 2000. पी. 119 . 10 अप्रैल 2013 को लिया गया । इल कैसो कोस्टास जॉर्जाकिस। पृष्ठ 250, एल.25000। आईएसबीएन 88-8163-217-9 । एर्गा, जेनोवा। Il suicidio del giovane studente ग्रीको कोस्टास जॉर्जाकिस इन सैक्रिफिसियो अल्ला प्रोप्रिया पेट्रिया नेल नोम डि लिबर्टा ई डेमोक्राज़िया एप्रे उना फाइनस्ट्रा सु ट्रेंट'एन्नी डि स्टोरिया ...
13. कोस्टिस कोर्नेटिस (15 नवंबर 2013)। तानाशाही के बच्चे: ग्रीस में छात्र प्रतिरोध, सांस्कृतिक राजनीति और "लंबे 1960 के दशक" । बरगहन किताबें। पीपी 66-67। आईएसबीएन 978-1-78238-001-6. 1971 में जेनोवा में पियाज़ा माटेओटी में, युवा छात्र कोस्टास जॉर्जाकिस ने ... के विरोध में खुद को आग लगा ली ...
14. ए बी बोरेन 2013 , पी। 68.
15. बोरेन 2013 , पृ. 71.
16. "पुस्तक समीक्षा: यह यहाँ नहीं हो सकता" । फ्लिंडर्स छात्र । 2008-02-27 को पुनःप्राप्त .
17. बार्कन, एलन (2002)। कट्टरपंथी छात्र: सिडनी विश्वविद्यालय में पुराना वामपंथी । पी। 330. आईएसबीएन 9780522850178.
18. ए बी बार्कन 2002 , पृ. 330.
19. "राजनीतिक दल और राजनीतिक हिंसा" . www.refworld.org । अनुसंधान निदेशालय, आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड, कनाडा। 1 मई 1994 । 28 अप्रैल 2015 को लिया गया ।
20. ए बी "द राइज़ ऑफ़ स्टूडेंट मूवमेंट्स | ब्राज़ील: फ़ाइव सेंचुरीज़ ऑफ़ चेंज" . पुस्तकालय.भूरा . edu . 2019-07-04 को लिया गया ।

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com